

पारयाजना का नाम:-राज्य याजना क अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में
जल्थाकोट-चमड़थल-किमोली मोटर मार्ग का
निर्माण।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 30.09.2009 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री गोविन्द प्रसाद वन क्षेत्र अधिकारी, राजस्व विभाग की ओर से श्री अमर नाथ पटवारी प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री के.के.पांडे, सहायक अभियंता एवं श्री संजयसिंह नयाल कनिष्ठ अभियंता द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.385 है०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.055 है०, वन पंचायत भूमि 0.875 है० कुल 3.115 है० वन भूमि एवं 2.485 है० नाप भूमि प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है)

(संजयसिंह नयाल)
कनिष्ठ अभियंता
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

(के.के.पांडे)
सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो० नि० वि०
बागेश्वर

प्रतिहस्ताक्षर

(पटवारी,
राजस्व विभाग प्रतिनिधि)

तहसीलदार
बागेश्वर जि० बागेश्वर

उप जिलाधिकारी,
बागेश्वर

(गोविन्द प्रसाद)
वनक्षेत्र अधिकारी
वन विभाग प्रतिनिधि

अधिशाली अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो० नि० वि०
बागेश्वर

प्रति हस्ताक्षरित